निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 417) पटना, सोमवार, 6 जुलाई 2020

सं० मु0/वा0भ0–340–06/19–196 (वास्तु0)
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

28 अप्रील 2020

विषयः– प्रस्तावित "समाहरणालय भवन, पटना" के लिए चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान हेतु कुल राशि **₹1,60,12,076/–(एक करोड़ साठ लाख बारह हजार छिहत्तर रूपये जी0एस0टी0 सहित)** मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रस्तावित ''समाहरणालय भवन, पटना'' के परामर्शी सेवा हेतु वास्तुविद् परामर्शी का चयन विहित प्रक्रिया के अनुसार अभिरूचि आमंत्रण प्रकाशित कर एवम् गठित मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के उपरांत किया गया। परामर्शी से एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त शुल्क संबंधी सहमति एवम् तकनीकी अनुमोदन के आलोक मे कुल रू 1,60,12,076/– रूपये मात्र, जी0एस0टी0 सहित) के साथ चयनित परामर्शी से अग्रेतर परामर्शी सेवा प्राप्त की जा रही है। विभागीय पत्रांक–49 दिनांक 20.01.2020 के आलोक में परियोजना का निर्धारित माईल स्टोन के अनुसार पूरा किये जाने हेतु परामर्शी शुल्क की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई भवन निर्माण विभाग के द्वारा अपने बजट से किया जाना है जबकि परियोजना की स्वीकृति अलग से प्रशासी विभाग द्वारा दी गयी है।

2. समाहरणालय भवन पटना के लिए चयनित परामर्शी शुल्क के भुगतान हेतु राज्य मंत्रि परिषद द्वारा दिनांक 08.04.2020 की बैठक में मद संख्या–09 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी शुल्क के भुगतान हेतु कुल ₹1,60,12,076/– (एक करोड साठ लाख बारह हजार छिहत्तर रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यषीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघुशीर्ष–051–निर्माण उपषीर्ष–0101–भवन विपत्र कोड–03–4059010510101 के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0101.53.01 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष **2020–21** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन **₹96,07,246/–(छियानबे लाख सात हजार दो सौ छियालीस रुपये)** तक व्यय सीमित रहेगा एवं शेष राशि **₹64,04,830/– (चौंसठ लाख चार हजार आठ सौ तीस रूपये)** का व्यय वित्तीय वर्ष **2021–22** में किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चंचल कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 417-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in